न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-120/2006

श्रीचन्द पुत्र श्योनारायण उर्फ सोहन उर्फ सोनाराम जाति जाट निवासी बखतावरपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू (राज0)

1/1- राजेश कुमार
1/2- रमेश कुमार
पुत्र स्व0 श्रीचन्द जाति जाट निवासी बखतावरपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू (राज0)

1/3- निर्मला देवी पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी खेवडों की ढाणी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- जुगलाल
2- ओमप्रकाश
पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी बखतावरपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा जिला झुन्झुनू (राज0)

---रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-6-2006 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, चिडावा ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री संदीप काजला एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 26.2.2018

Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ एवं बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या-1 व 2 आपस सगे भाई हैं जो श्योनारायण के पुत्र हैं ।श्योनारायण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 22 रकबा 2बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 157 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बखतावरपुरा एवं खसरा नं0 129/3 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ओजटू में थी ।श्योनारायण के देहान्त के बाद उक्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 व 2 खातेदार काश्तकार हुये। किन्तु परिवार में बडा पुत्र श्रीचन्द जो परिवार का कर्ताखानदान भी था जिसके नाम उक्त आराजी दर्ज हो गई ।किन्तु आराजी को तीनों भाई काश्त करते थे जिसका बाद में बंटवारा कर लिया जिसमें । हिस्सा वादी का तथा दो हिस्से प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के शामिलाती में कर लिये। जिसमें ख0नं0 129/3 रकबा 23 बीघा 10 बिश्वा ग्राम ओजटू में से पूर्व उत्तरी तरफ का 7 बीघा 17 बिस्वा वादी के हिस्से में आया तथा शेष 15 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी सं0-1 व 2 के हिस्से में आया । ख0नं0 22 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा प्रतिवादी सं0-1 व 2 के हिस्से में, ख0नं0 157 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा में से उत्तर पूर्व की 1 बीघा 12 बिस्वा वादी के हिस्से में शेष 3 बीघा 2 बिस्वा प्रतिवादी सं0-1 व 2 के हिस्से में आया । आराजी के विकास के लिये खाता अलग अलग कराना आवश्यक हुआ तथा आराजी पर बैंक से ऋण लेने के लिये खातेदारी की घोषणा कराना आवश्यक हुआ जिसके लिये यह दावा पेश किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी गा दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली हैतनकी संख्या-1 व 2 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के हक में पारित करने में कानूनी भूल की है । तथा तनकी संख्या-3 व 4 का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध विधि के विपरित किया है ।तनकी संख्या-3 में यह साबित करना था कि रेस्पोडेन्ट

रेस्पोडेन्ट संख्या-1 श्योनारायण का पुत्र है अथवा हरूराम का पुत्र है । तनकी संख्या-3 व 4 का अदालत मातहत ने एक साथ किया जो अवैधानिक है। अदालत मातहत ने आदेश-20 नियम-5 सीपीसी की पालना न कर प्रत्येक तनकी का निर्णय अलग अलग नहीं कर आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-8 नियम-3 एवं आदेश-18 नियम-17 सपठित धारा-151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किये गये किन्तु अदालत मातहत ने आदेश पारित करने से पूर्व इन प्रार्थना पत्रों का कोई निर्णय पारित नहीं किया जाकर आदेश पारित किया जो विधि के विपरित है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 हरूराम का पुत्र है जिसके बाबत रेस्पोडेन्ट सं0-2 की स्वीकृति भी रही है ।पत्रावली पर मौजूद दावा जबाब दावा साक्ष्य शपथ पत्र इत्यादी में रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अपनी जो उम्र दर्ज करवाई है उसमें भी यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 हरूराम का पुत्र है । अदालत मातहत ने दस्ता--वेजी साक्ष्य पर कोई अवलोकन न कर अपना निर्णय दिया है ।रेस्पोडेन्ट संख्या -1 ने पास पोर्ट बनवाया जिसमें उसकी वल्दियत हरूराम दर्ज है जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की गई । जिसे अदालत मातहत ने जानबूझ कर निर्णय में नजर अंदाज किया गया है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपना जन्म 18-9-1951 को होना बताया है जिसकी ताईद भी रेस्पोडेंट सं0-1 के पास पोर्ट से होती है।श्योनारायण का देहान्त सन् 1944 में हुआ है । इस ऐतराज पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर आदेश पारित किया है । आराजी ख0नं0 129/3 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्ट की स्वअर्जित आराजी है जिसकी ताईद प्रस्तुत साक्ष्य से होती है किन्तु अदालत मातहत ने इन दस्तावेजी साक्ष्य को भी नजर अन्दाज कर अपना आदेश पारित किया है ।अदालत मातहत ने तथाकथित लिखित आपसी बंटवारें को सही मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है । अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 30-6-2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने विधिक

प्रक्रिया बिना अपनाये अपना आदेश पारित किया है । अतः रेस्पोडेन्ट सं0-। जमीन जैर बहस का टिनेन्ट साबित नहीं है । अपीलान्ट ने जो प्रार्थना पत्र दि0 28-6-2006 को पेश किया उस पर अदालत मातहत ने जानबुझ कर आदेश पारित न कर आदेश पारित किया है ।उक्त प्रार्थना पत्र से रेस्पोडेन्ट सं0-। हरूराम का पुत्र साबित है । रेस्पोडेन्ट संख्या-। के जन्म से पहले ही श्योनारायण का देहान्त हो चुका था ।इस तथ्य पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना दिया। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल निर्णय दिनांक 30-9-2004 द्वारा अदालत हाजा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने इस निर्णय में पक्षकारों की सुनवाई करते हुये अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत को प्रकरण में सुनवाई करते हुय प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने हेतु रिमाण्ड की गई । प्रदर्श-।8 लिखावट दिनांक 3।-7-85 में श्रीचन्द,जुगाराम,ओमप्रकाश पुत्र सोवनराम का आपसी भाई बंटवारे की लिखावट है जिसमें घर के जेवर एवं आराजी का बंटवारा किया गया है । जिसमें श्रीचन्द,जुगाराम व ओमप्रकाश के हस्ताक्षर है । प्रदर्श-।। से ।4 लगान की रसीदे हैं जो जुगाराम पुत्र सोहन के द्वारा जमा करवाई गई है । प्रदर्श-6 व 7 कब्जा मौका रिपोर्ट, मौका फर्द में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 । व 2 प्रत्येक का ।/3, ।/3 हिस्से पर कब्जा काश्त बताया है तथा जिस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श-9 में विवादित आराजी ख0नं0 ।29/3 रकबा 23 बीघा ।0 बिस्वा की खातेदारी श्रीचन्द के नाम दर्ज है। जिसमें करीब 6 बीघा ।7 बिस्वा पर जुगलाल पुत्र सोहनराम का कब्जा काश्त बताया है तथा झोपडा बनाकर आबाद बताया है । तथा जुगलाल के खेत में पत्थरों के ढेर पडे हैं जो गांव के मौतबिरान लोगों ने जुगलाल के ही बताये हैं । प्रदर्श-।0 प्रमाण पत्र कार्यालय

ग्राम पंचायत बखतावरपुरा में जुगलाल, ओमप्रकाश व श्रीचन्द तीनों सगे भाई है एवं स्व0 श्योनारायण के पुत्र हैं। जिनको श्योनारायण की चल व अचल सम्पत्ति उत्तराधिकार में बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। हरूराम की सम्पति से जुगलाल व ओमप्रकाश का कोई सम्बन्ध नहीं है । यह प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है ।प्रदर्श-16 जमाबन्दी सं0-2031 से 2034 में ख0नं0 331 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा में 1/6 हिस्सा की खातेदारी श्रीचन्द, जुगलाल पि0 सोनाराम के नाम दर्ज है । प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2029 से 2032 में ख0नं0 129/3 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी श्रीचन्द पुत्र सोहन के नाम दर्ज है तथा प्रदर्श 3 जमाबन्दी सं0-2031 से 2034 में ख0नं0 22 , 157 कुल किता-2 रकबा 7 बीघा की खातेदारी श्रीचन्द अपीलान्ट के नाम दर्ज है । प्रदर्श-डी-1 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 22 के हाल ख0नं0 153 रकबा 0.32 हैक्टर बना तथा गत ख0नं0 157 के हाल ख0नं0 206 रकबा 1.19 हैक्टर बने हैं । प्रदर्श खतौनी सं0 1998 में ख0नं0 22 व 157 की खातेदारी सोना वल्द भाना के नाम दर्ज है । प्रदर्श-3 जमाबन्दी सं0-2012, , प्रदर्श-5 जमाबन्दी सं0-2019 से 2022, प्रदर्श-6 जमाबन्दी सं0-2023 से 2026, प्रदर्श-7 जमाबन्दी सं0-2027 से 2030, 2031 से 2034, 2050 से 2053 में खातेदारी श्रीचन्द पुत्र सोनाराम के नाम दर्ज है । प्रदर्श -10 में ख0नं0 157 सोनाराम के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-9 से 16 का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-17 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-18 से डी-32 का अवलोकन किया गया । बयानों का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलो--कन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 की पैत्रिक भूमि हैं । तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 सोहन उर्फ श्योना रायण के पुत्र है जिसकी ताईद लिखावट प्रदर्श 18 दिनांक 31-7-85 से होती है जिस पर श्रीचन्द के हस्ताक्षर है जिसमें बंटवारा स्वीकार किया है जिसमें श्योना रायण की आराजी का चल व अचल सम्पत्ति का बंटवारा किया गया है । प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर भी विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट सं0-1 का 1/3 हिस्सा प्रमाणित है मौके पर काबिज है।अदालत मातहत

ने अपना निर्णय तनकीवाईज पारित किया है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं। अदालत मातहत का प्रत्येक तनकी का निर्णय उचित एवं विधिक है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय दिनांक 30-6-2006 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 26.2.2018 को सुनाया गया ।

26/2/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर